



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

महिलाओं का श्रम और पहचान के मुद्दे

महिलाओं का श्रम और पहचान के मुद्दे

संदर्भ

- महिलाओं का श्रम, विशेषकर अवैतनिक देखभाल एवं घरेलू कार्य, बड़े पैमाने पर कम आंका और कम महत्व दिया जाता है।

अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य: अर्थव्यवस्था की अद्वश्य रीढ़

- महिलाएँ असमान रूप से अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य का भार उठाती हैं, जो भारत के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की रीढ़ है। यह अर्थव्यवस्था को चलाने में सक्षम बनाता है, लेकिन न तो इसका मौद्रीकरण होता है और न ही औपचारिक मान्यता।
- संयुक्त राष्ट्र की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाएँ वैश्विक स्तर पर पुरुषों की तुलना में 2.8 गुना अधिक समय अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्यों में लगाती हैं।
 - इसमें खाना बनाना, सफाई करना, देखभाल करना और अन्य घरेलू जिम्मेदारियाँ शामिल हैं, जो समाज के संचालन के लिए आवश्यक हैं लेकिन आर्थिक आँकड़ों या नीतिगत ढाँचों में शायद ही कभी मान्यता पाती हैं।
- ILO का अनुमान है कि यदि अवैतनिक देखभाल कार्य का पुनर्वितरण किया जाए तो भारत में महिला श्रम भागीदारी 2030 तक 40% तक पहुँच सकती है, जिससे GDP में अतिरिक्त 250 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान होगा।

भारत में अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य के पहलू

- MoSPI की टाइम यूज इंडिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार, महिलाएँ प्रतिदिन औसतन 314 मिनट (5.2 घंटे) अवैतनिक घरेलू और देखभाल गतिविधियों में लगाती हैं।
 - पुरुष केवल 97 मिनट व्यय करते हैं, जो 2019 सर्वेक्षण से नगण्य सुधार दर्शाता है।
 - लगभग 82% महिलाएँ (15–59 वर्ष आयु वर्ग) ने प्रतिदिन अवैतनिक घरेलू कार्य करने की सूचना दी, जबकि पुरुषों में यह केवल 27% था।
- नीति आयोग 2025 लिंग सूचकांक रिपोर्ट ने इस अंतर की पुष्टि की, यह बताते हुए कि अवैतनिक कार्य महिलाओं के कुल कार्य समय का 63% है, जिससे उनका भुगतान वाले रोजगार और उद्यमिता में भाग लेना सीमित हो जाता है।
- SBI रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत में अवैतनिक कार्य लगभग ₹22.7 लाख करोड़ या देश के GDP का लगभग 7.5% योगदान करता है।
 - महिलाएँ ऐसे कार्यों में प्रति सप्ताह लगभग 36 घंटे व्यय करती हैं, जबकि पुरुष केवल 16 घंटे।
- शोध से संकेत मिलता है कि महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी बढ़ाने से भारत का GDP 27% तक बढ़ सकता है।

अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य से जुड़ी चिंताएँ और मुद्दे

- महिलाओं के कार्य की स्थायी अदृश्यता: भावनात्मक और मानसिक श्रम, जो संबंधों एवं सामाजिक सामंजस्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, अनदेखा रहता है।
 - यह घरों एवं अर्थव्यवस्थाओं को आधार देता है, लेकिन आर्थिक संकेतकों और नीतियों से अनुपस्थित है, जिससे इसकी अदृश्यता बनी रहती है।

- **मूल्यहास की संरचनात्मक और वैचारिक जड़ें:** देखभाल कार्य का हाशियाकरण गहरे आर्थिक विचारधाराओं से उत्पन्न होता है।
 - पुरुष कमाने वाले रोजगार को प्राथमिकता देना और GDP वृद्धि को प्रगति का मापदंड मानना देखभाल कार्य को ‘उत्पादक’ गतिविधि के क्षेत्र से बाहर कर देता है।
 - सड़कें, उद्योग, तकनीक जैसी भौतिक अवसंरचना में निवेश सामाजिक अवसंरचना (बाल देखभाल, वृद्ध देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ) में निवेश को पीछे छोड़ देता है।
- **उत्पादन और पुनरुत्पादन का लैंगिक विभाजन:** जैविक पुनरुत्पादन पहलुओं का ऐतिहासिक रूप से उपयोग लैंगिक श्रम विभाजन की सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को छिपाने के लिए किया गया।
 - उत्पादन (पुरुष-प्रधान) और सामाजिक पुनरुत्पादन (महिला-प्रधान) का अलगाव महिलाओं के अधीनस्थ होने को सुदृढ़ करता है और उनके योगदान को अदृश्य बना देता है।
 - महिलाओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रम को औपचारिक मान्यता से व्यवस्थित रूप से बाहर रखना पितृसत्तात्मक आर्थिक सोच की निरंतरता को दर्शाता है।

वैश्विक विधायी प्रयास

- कुछ देशों ने अवैतनिक श्रम की मान्यता को संस्थागत करना शुरू किया है:
 - **बोलीविया का संविधान (अनुच्छेद 338):** घरेलू कार्य को सामाजिक कल्याण उत्पन्न करने वाली आर्थिक गतिविधि के रूप में मान्यता देता है और गृहिणियों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देता है।
 - **त्रिनिदाद और टोबैगो का बिना वेतन वाले कार्य की गिनती अधिनियम (1996):** अवैतनिक देखभाल कार्य का मूल्यांकन और लैंगिक-आधारित विश्लेषण अनिवार्य करता है।
 - **अर्जेंटीना:** महिलाओं को बच्चों की परवरिश में उनकी भूमिका को मान्यता देते हुए अवैतनिक देखभाल कार्य के लिए पेंशन क्रेडिट प्रदान करता है।
- हालाँकि, कोई वर्तमान ढाँचा भावनात्मक और मानसिक श्रम को पूरी तरह से मान्यता नहीं देता, जो नीति और मुआवजे के दायरे से बाहर रहता है।

भारत में नीतिगत और संस्थागत विकास

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (2025) ने संशोधित राष्ट्रीय महिला नीति के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित किए:
 - अवैतनिक देखभाल कार्य का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय ढाँचा विकसित करना।
 - मिशन शक्ति पहल के अंतर्गत आंगनवाड़ी और क्रेच सेवाओं का विस्तार।
 - पुरुषों और युवाओं को लक्षित जागरूकता अभियानों के माध्यम से साझा घरेलू जिमेदारियों को प्रोत्साहित करना।
- NITI Aayog की लिंग बजट रिपोर्ट 2025 ने समय-उपयोग डेटा को राजकोषीय योजना में एकीकृत करने का आह्वान किया, जिससे पहली बार भारत के राष्ट्रीय लैंगिक ढाँचे में महिलाओं की आर्थिक स्थिति के संकेतक के रूप में अवैतनिक कार्य का उल्लेख हुआ।
- मद्रास उच्च न्यायालय (2023) ने पत्नी के घरेलू कार्यों को परिवार की आर्थिक संपत्ति में योगदान के रूप में स्वीकार किया और उसे संपत्ति में समान हिस्सा प्रदान किया।

आगे की राहः परिवर्तन के मार्ग

- GDP लेखांकन में समावेशन:** MoSPI के माध्यम से अवैतनिक श्रम मीट्रिक्स को राष्ट्रीय आय खातों में एकीकृत करना।
- लैंगिक-संवेदनशील श्रम नीतियाँ:** भुगतान वाली पारिवारिक छुट्टी, लचीले घंटे और देखभालकर्ता कर क्रेडिट।
- अवसंरचना निवेश:** सार्वजनिक बाल देखभाल, वृद्ध देखभाल केंद्र और ग्रामीण समर्थन नेटवर्क।
- व्यवहारिक बदलाव:** सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा समर्थित 'शेयर द लोड2.0' जैसे राष्ट्रव्यापी अभियान।

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: महिलाओं के श्रम के विभिन्न रूपों पर चर्चा कीजिए जो आर्थिक और नीतिगत ढाँचों में अब तक अप्रतिष्ठित (मान्यता-रहित) बने हुए हैं। इन योगदानों को स्वीकारना एवं उनका मूल्यांकन करना क्यों महत्वपूर्ण है?

